न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 96/2024 (उदयपुर डिक्री)

जगदीश पिता दला जी कुमावत, निवासी रामपुरा, आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पिता भैरूलाल जी कुमावत, निवासी रामपुरा, आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. बाबूलाल पिता तेजा जी कुमावत, निवासी रामपुरा, आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. शान्तिलाल पिता तेजा जी कुमावत, निवासी रामपुरा, आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मांगी बाई पुत्री तेजा जी कुमावत, निवासी रामपुरा, आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती दोली बाई पत्नी तेजा जी कुमावत, निवासी रामपुरा, आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली दि0 29.07.2024 प्रकरण संख्या 28/2020

———/———

उपस्थित :– 1– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3– श्री महेन्द्र मेनारिया अभिभाषक रे.सं. 2, 3
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 19–11–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं अ[illegible] की आराजी नंबर 951 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested

9 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम रामपुरा, तहसील मावली में स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ जाने से नाजायज कब्जा करने की नियत से भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं। अतः विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 5 तनकिया कायम की जाकर दिनांक 29–07–2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–08–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 5 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल डांगी नियुक्त थे, जिन्होंने दिनांक 23–02–2021 को अपीलान्ट की ओर से उपस्थिति दी थी तथा दिनांक 21–10–2021 को जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया था तथा पत्रावली तलबी व काउण्टर क्लेम के जवाब हेतु नियत थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–07–2024 को अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम पर बिना सुने व बिना साक्ष्य लिए वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को काउण्टर क्लेम पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है तथा काउण्टर क्लेम के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ड संख्या 1 विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का सहखातेदार होने से अधीनस्थ न्यायालय ने मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रतिवादी/अपीलान्ट ने अपने काउण्टर क्लेम में स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित आराजी का लगभग 50 वर्ष पूर्व विभाजन होकर वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर विभाजन अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर छोड़ा गया रास्ता शामलाती रखा गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है तथा वादी द्वारा अपने वाद में विभाजन के साथ स्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गयी है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा पर कोई निर्णय नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11–07–2024 में राजीनामें का उल्लेख है, लेकिन राजीनामें से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ही सहमत है, जबकि विधि अनुसार राजीनामें पर सभी पक्षकारों की सहमति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 29–07–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 के काउण्टर क्लेम पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–01–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 19–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं सदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested